फोटो प्रति निर्णय दिनांक 12-7-2019
प्रकरण सं. R.M. 12/2017
भूरसिंह बनाम श्रीमति हवाकंवर, वगैराह
अन्तर्गत धारा 8 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर

12-7-19	वकुलाय उपस्थित / अप्रार्थी सं. 4 की ओर से सरकारी वकील उपस्थित / इस स्थगन प्रार्थनापत्र से सबंधित मूल अपील में निर्णय हो चुका है। अतः अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से यह स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है / पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो / आदेश सरे इजलास सुनाया गया / यह प्रकरण मूल अपील सं. 36/2017 के संलग्न किया जावे / छगनलाल गोयल 12/7/19 अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर (राज.)